# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व वाद संख्या 50/2010

1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि कन्हैयालाल व्यास जाति ब्राम्हाण निवासी डोडियाना वाया पादुं जिला नागौर।

**बनाम**

1. रूपचन्द तिवाडी पुत्र स्वर्गीय बिरदीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी गनाहेडा रोड बिजली पावर हाउस के सामने पुष्कर जिला अजमेर। (फोत)

1/1 श्रवण कुमार रूपचन्द जाति ब्राम्हण निवासी किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर
1/2 मुकेश पुत्र रूपचन्द जाति ब्राम्हण निवासी किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर।
1/3 मधुसुदन पुत्र रूपचन्द जाति ब्राम्हण निवासी किराप तहसील मसूदा

2. छोटूलाल पुत्र स्वर्गीय बिरदीचन्द जाति ब्राम्हण निवासी किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा जिला अजमेर।

## वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## निर्णय

दिनांक 03.05.2017

वादिया ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम एवं पटवार हल्का व भू0 अ0 नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 की खतोनी नई 620 व पुरानी 578 में कुल खसरा किता 24 रक्बा 32–16–10 बीघा भूमिया जो इस वाद पत्र में विवादित मानी जानी है जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी भूमियां होकर उनके स्व0 पिता बिरदीचन्द वल्द रामगोपाल ब्राम्हण की विरासत से उन्हे प्राप्त हुई है। स्व0 बिरदीचन्द जी के केवल मात्र वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही वारसान है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए चालाकी से अकेले अपने नाम नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 25.04.1984 स्वीकृत करवा लिया जिसकी जानकारी वादिया द्वारा अपने हिस्से पर सिंजारे पर खुलेआम काश्त कराते रहने से वादिया को नही हो सकी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत बद हो गई और प्रतिवादी संख्या 1 ने चुपचाप दिनांक 19.05.2010 को विवादित आराजी का कुल हिस्सा बिना वादिया को बताए बेचान कर दिया है विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश है। वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से विवादित आराजी में वादिया का नाम लगवाने का निवेदन करने पर दिनांक 20.07.2010 को स्पष्ट रूप से मना करते हुए धमकी दी है कि विवादित आराजी उनकी खातेदारी में है वे चाहे बेचान कर रहन रखेगे अतः वाद लाने की आवश्यकता हुई है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने व बेचान करने से रोकने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिया के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि विवादित आराजीयात में वादिया 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 25.04.1986 को शून्य घोषित कर प्रतिवादीगण 1 व 2 के साथ वादिया का नाम 1/3 हिस्से से दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद कथन नकारते हुए निवेदन किया है कि वाद वर्णित आराजियात स्व0 बिरदीचन्द जी खातेदार थे उनकी विरासत उनके पुत्रान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगी है। वादिया 82 वर्षीय वृद्ध महिला है जिसका विवाह 65 वर्ष पूर्व ग्राम डोडियाना जिला नागौर में हुआ था। वह गत 65 वर्ष से अपने परिवारजन के साथ सुखमय जीवन अपने ससुराल में व्यतीत कर रही है उसके पुत्र और पौत्रगण ही प्रोढावस्था को प्राप्त हो गये है। इस वृद्धवस्था में जबकि वादिया का चलना फिरना मुहाल हो रखा है एसे में उसके द्वारा काश्त करने के कथन सर्वथा मिथ्या है। वह स्व0 बिरदीचन्द जी की मृत्यु के बाद आदिनांक ग्राम किराप में नही आई है। नामान्तकरण संख्या 53 में अब

कोई हेरफेर संभव नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पिता ने अपने जीते जी लिखित बटवारे से भूमियां बांट दी थी जिसमें बंजर भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से आई जिनको सुधारने में हुए खर्च के ऋण को चुकाने के लिए उसे अपने हिस्से की कुछ भूमियां बेचनी पडी है। वादिया की नियत बंद है और उसने प्रतिवादी को हैरान परेशान करने की मंशा से यह झूठा वाद प्रस्तुत किया है अतः सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 रूपचन्द के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने अपने प्रतिवाद पत्र में वादिया के वाद को अक्षरशः अक्षर स्वीकारते हुए अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादीगण 4 से 6 के दादा स्व0 बिरदीचन्द जी ने अपने पुत्र पुत्रियों की शादी सामाजिक रितिरिवाज से की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने जो राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर थे शादीशुदा होने के बावजूद शकुन्तलादेवी नाम से शारिरीक सम्बन्ध कायम कर लिए और उसी के साथ रहने लगे और कभी भी गांव किराप नही आये जिसके सदमे से बिरदीचन्द जी का निधन सन् 1984 मे हो गया इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी पत्नि एवं जवाब देहिन्दा प्रतिवादीगण की माता श्रीमति मुन्नीदेवी को ब्यावर ले जाकर उसके 25 तोला के सोने के जेवरात एवं एक किलो चांदी के जेवरात जो उसके पीहर से मिले थे उतरवा लिए और उसने विवादित आराजी में अपने हिस्से को शकुन्तला के नाम करने की मंशा से अजमेर रहने लगा था अतः वाद वादिया स्वीकार किया जावे तथा विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा वादिया एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी जवाब देहिन्दागण का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 2 का घोषित किया जाकर यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल करवाया जावे।

प्रतिवाद पत्र प्राप्ति पर 4 तनकियात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई। लेकिन उभयपक्षान की और से कोई शहादत पेश नही की गई। बहस विव्दान अभिभाषकगण सुनी गई। वादी वकील के तर्क रहे कि विवादित आराजी पुश्तेनी आराजी है जो वादीसहित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके पिता स्व0 बिरदीचन्द के उत्तराधिकार प्राप्त हुई लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बदनियति से केवल मात्र अपने नाम लगवाली तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ आराजियात अन्य लोगो को विक्रय कर दी है अतः मेरा वाद डिक्री कर मुझे विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने बहस न कर वाद को स्वीकार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में कायम तनकियात को निम्नप्रकार तय किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

**तनकी** – 1 आया वादिया विवादित आराजी में 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने तथा नामान्करण स0 53 दिनांक 25.04.1986 को निरस्त एवं शुन्य घोषित करवाने की अधिकारिणी है?

इसका भार वादिया पर रहा है और वह यह वाद यह कहकर लाई है कि विवादित भूमि उसके एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 बिरदीचन्द वल्द श्रीरामगोपाल जी की पुश्तेनी भूमियां है जो उनकी विरासत से पक्षकारान को प्राप्त हुई है। लेकिन उनकी मृत्यू के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने गैरकानूनी रूप से एवं बंदनियतिवश गुपचुप रूप से नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 25.04.1986 अकेले अपने नाम स्वीकार करवा लिया है। जिसे अपने अधिकारो पर शुन्य घोषित करवा कर विवादित आराजी में अपना 1/3 हिस्से की घोषणा करवाना चाहती है। पत्रावली अवलोकन से प्रमाण स्वरूप वादिया ने ग्राम किराप की जमाबंदी सम्वत् 2042–45 के खाता संख्या 252 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें स्व0 श्री बिरदीचन्द तन्हा रूप से विवादित भूमियां में खातेदार काश्तकार दर्ज है। जिसमें उनकी विरासत जमाबंदी सम्वत 2046–49 के खाता संख्या 413 में प्रतिवादी अकेले संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तकरण संख्या 53 से लगाया जाना दर्शाया गया है तथा आगे की रोटेशन जमाबंदी 2065 से 68 के खाता संख्या 620 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अकेले खातेदार दर्ज है। इन दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तो साबित है कि विवादित भूमियां पुश्तेनी भूमियां है जिनमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्से बराबर से 1/3 – 1/3 के हिस्सेदार होने चाहिए। वादिया विवादित आराजी में साधिकार 1/3 हिस्से की सहखातेदार होने तथा नामान्तकरण संख्या 25.04.1986 को अवेध घोषित करवाने की बमुताबिक राजस्व अभिलेख अधिकारिणी है। वादिया अपने पक्ष में तनकी सिद्ध करने में सफल रही है। अतः बहक वादिया तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

**तनकी – 2** आया वादिया प्रतिवादी स0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की अधिकारिण है कि वे वादिया के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी नही करे? ना ही वादिया के उपयोग बाधा उत्पन्न करे?

इसका भार भी वादिया पर रहा है। तनकी संख्या 1 को साबित कर देने पर वादिया स्वतः ही अपने हिस्से की आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति की अधिकारिणी है। तनकी बहक वादिया तय की जाती है।

**तनकी – 3** आया विवादित आराजी के खातेदार स्व0 बिरदीचन्द जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजियात का अपनी अन्तिम इच्छानुसार प्रतिवादी स0 1 व 2 के मध्य कर दिया था अतः वाद वादिया निरस्तनीय है?

इसका भार प्रतिवादीगण पर रहा है लेकिन किसी भी प्रतिवादी की और से इसे अपने पक्ष में सिद्व करने का प्रयास नही किया है अतः विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

**तनकी – 4** आया प्रतिवादी स0 4 लगायत 6 प्रतिवादी स0 1 के 1/3 हिस्से की आराजी में सहखातेदार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

इसका भार प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 पर रहा है। उन्होंने वादिया के वाद को स्वीकार कर लिया है और प्रतिवादीगण संख्या 1 की मृत्यू हो चुकी है अतः उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 विवादित आराजी में 1/3 हिस्से से खातेदार होने के अधिकारी है।

**अनुतोष?**

अनुतोष में वादिया अपने वाद कथन को सिद्व करने में सफल रही है अतः वाद वादिया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादिया डिक्री किया जाकर ग्राम किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के खाता संख्या 620 के कुल खसरा किता 24 रक्बा 32–16–10 बीघा में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 अर्थात 1/1 से 1/3 श्रीश्रवण कुमार पुत्र स्व0 रूपचन्द वगेरह को बहिस्से बराबर से 1/3 – 1/3 हिस्से के सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यथानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादगण को वादिया के हिस्से की आराजी में कार्यवाही दखलंदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा मुमनियत की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2017 आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 11:54:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: